



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या: 03-अ.प्र.-04/पाकालि/2010-9(74)/2000

दिनांक: मार्च 25, 2010.

## कार्यालय ज्ञाप

मुजफ्फरनगर में जांच के दौरान विद्युत चोरी की सम्भावना व उसमें अधिकारियों की मिलीभगत व लापरवाही के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिकारी का स्थानान्तरण जांच को निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिये आवश्यक है। अतः कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित सहायक अभियन्ता को स्तम्भ संख्या-03 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्तम्भ संख्या -04 में उल्लिखित इकाई को आवंटित किया जाता है :-

| क्रम सं. | सहायक अभियन्ता का नाम, अभि. संख्या, गृह जनपद एवं शैक्षिक योग्यता | वर्तमान तैनाती इकाई                                                                       | नव आवंटित इकाई                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                                                                         | 4                                                             |
| 1.       | श्री अनिल अरोरा, (97044), देहरादून, ए.एम.आई.ई. (इलेक्ट्रानिक्स)  | सहायक अभियन्ता, (मीटर-द्वितीय), विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर (सहारनपुर क्षेत्र) | पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी (प्रशासनिक आधार पर) |

- उक्त तैनाती के आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- इकाई प्रमुख/नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित सहायक अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या: 5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

## अपर प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 03(1)अ.प्र.-04/पाकालि/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल/पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लि. मेरठ/वाराणसी।
- अपर सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, सहारनपुर।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशकगणों के निजी सचिव, उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- पुलिस अपर महानिरीक्षक (सतर्कता), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
- विधि अधिकारी, उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अनु सचिव (गोपन), उ.प्र.पा.का.लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ.प्र.पा.का.लि, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली।

आज्ञा से,

(बी०बी०श्रीवास्तव)  
उपसचिव